क्रम-संख्या–64

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 28 मार्च, 2013

चैत्र 7, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 366/79-वि-1–13-1(क)-4-2013

लखनऊ, 28 मार्च, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2013 पर दिनांक 28 मार्च, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2013) के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन 2013)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।

(2) यह 15 फरवरी, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ञञ) 'निर्वाचन आयोग' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग से है;"

धारा 29 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 29 में उपधारा (2), (3), (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) (क) प्रत्येक प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल पांच वर्ष होगा और प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसी कमेटी के कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगा।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्ध ऐसी किसी प्रबन्ध कमेटी, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रारम्भ के दिनांक को अस्तित्व में है, और ऐसी कमेटी के निर्वाचित सदस्यों पर भी लागू होंगे।

(3) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये निर्वाचन, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन, विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व पूरा कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो गया है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण उसे नियत् किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन है, वहां वह निर्वाचन को स्थगित कर सकता है, और निर्वाचन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जायेंगी।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि व प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के 4 मास पूर्व निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कराने के लिये अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेंजे।

(5) कोई सहकारी समिति अपनी प्रबन्ध कमेटी में उतने सदस्य रख सकती है, जितने के लिये उसकी उपविधियों में व्यवस्था की गयी हो, परन्तु किसी शीर्ष समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या सत्रह, किसी केन्द्रीय समिति की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की अधिकतम संख्या पन्द्रह तथा प्रत्येक अन्य सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी की अधिकतम संख्या तेरह हो सकती है। समिति की कोई अन्य कमेटी या उप कमेटी अपनी प्रबन्ध कमेटी से छोटी होगी और किसी भी स्थिति में ऐसी कमेटी या उप कमेटी में सात से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी में चार स्थान, आरक्षित होंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये, एक स्थान नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति के लिये तथा दो स्थान महिलाओं के लिये होंगे।

(6) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, राज्य सरकार द्वारा यथानियत् लेखा, विधि, बैंकिंग, प्रबन्धन, कृषि या ग्रामीण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले कम से कम दो वृत्तिक व्यक्ति आमेलित करेगी। यह आवश्यक नहीं है कि आमेलित सदस्य सहकारी समिति के सामान्य निकाय का सदस्य हो :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्यों की संख्या, उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त, दो से अधिक नहीं होगी :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आमेलित सदस्य प्रबन्ध कमेटी के ऐसे सदस्य अथवा पदाधिकारी के निर्वाचन अथवा अविश्वास प्रस्ताव में भाग लेने एवं मतदान के अधिकारी नहीं होंगे, और ऐसे सदस्य प्रबन्ध कमेटी के पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित किये जाने के लिये अनर्ह होंगे।

(7) प्रत्येक सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा प्रबन्ध कमेटी में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, उसी वर्ग के सदस्यों में से, जिसके सम्बन्ध में आकस्मिक रिक्ति उत्पन्न हुई है, नामनिर्देशन द्वारा की जा सकती है, यदि प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल उसके मौलिक कार्यकाल के आधे से कम हो।".

धारा 35 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 35 में :—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :

"(1) जहाँ निबन्धक की राय में किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या नियमों अथवा समिति की उपविधियों द्वारा उस पर आरोपित कर्तव्यों के पालन में बराबर चूक करती है अथवा उपेक्षा करती है, अथवा कोई ऐसा कार्य करती है, जो समिति अथवा उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हो, या प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन कराने में विफल रही हो, या अन्यथा समुचित रीति से कार्य नहीं करती है, तो निबन्धक प्रबन्ध कमेटी को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् और विहित रीति से उक्त प्रयोजन के लिये बुलाई गई सामान्य बैठक में समिति के सामान्य निकाय की राय प्राप्त करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, प्रबन्ध कमेटी को अवक्रान्त कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां विहित परिस्थितियों के अधीन समिति के सामान्य निकाय की सामान्य बैठक बुलाना सम्भव नहीं है, तो निबन्धक के लिये समिति के सामान्य निकाय की राय लेना आवश्यक नहीं होगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक या उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के मामले में प्रबन्ध कमेटी का निलम्बन या अवक्रमण निबन्धक द्वारा तब तक नहीं किया जायेगा, जब तक कि भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श न कर लिया गया हो :

प्रतिबन्ध यह भी है कि प्रारम्भिक कृषि सहकारी ऋण समिति की प्रबन्ध कमेटी को निबन्धक द्वारा केवल निम्नलिखित आधारों पर ही अवक्रमित किया जा सकता है :—

(एक) यदि कोई समिति लगातार तीन वर्षों से हानि उपगत करती हो, या

(दो) यदि गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें या कपट किया गया हो,

(तीन) यदि इस आशय का कोई न्यायिक निर्देश हों अथवा गणपूर्ति की निरन्तर कमी बनी रहे :

प्रतिबन्ध यह भी है कि जहां कोई सरकारी अंशधन (शेयर) धारकता न हो या सरकार द्वारा कोई ऋण या वित्तीय सहायता या कोई गारन्टी न हो तो, निबन्धक द्वारा किसी ऐसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का अवक्रमण या निलम्बन नहीं किया जायेगा।"

(ख) उपधारा (2) में विद्यमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि बैंककारी–व्यवसाय करने वाली किसी समिति के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी और बैंकिंग व्यवसाय से भिन्न व्यवसाय करने वाली समिति के सम्बन्ध में छः मास के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी, और यदि यह नियत अवधि में पूरी नहीं की जाती है तो, उपधारा (1) के अधीन प्रारम्भ की गयी कार्यवाही छोड़ दी गयी समझी जायेगी और प्रबन्ध कमेटी यदि निलम्बनाधीन हो तो पुनःस्थापित हो जायेगी ।"

धारा 64 का संशोधन

5–मूल अधिनियम की धारा 64 में :–

(क) उपधारा (1) में शब्द "प्रत्येक सहकारी वर्ष में कम से कम एक बार" के स्थान शब्द, "उस वित्तीय वर्ष की, जिससे लेखे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति के छः मास के भीतर" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"(6) प्रत्येक शीर्ष सहकारी समिति के लेखों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।"

नयी धारा 113 का बढ़ाया जाना

6–मूल अधिनियम की धारा 112 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :–

"113 (1)–प्रत्येक सहकारी समिति, निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करते हुये, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर, निबन्धक को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विवरणी (रिटर्न) प्रस्तुत करेगी, अर्थात :–

विवरणियों का दाखिल किया जाना

(क) अपने क्रिया कलापों की वार्षिक रिपोर्ट;

(ख) अपने लेखों का लेखा परीक्षित विवरण;

(ग) सहकारी समिति के सामान्य निकाय द्वारा यथा अनुमोदित अधिशेष के निस्तारण की योजना;

(घ) समिति की उपविधियों के संशोधनों की सूची, यदि कोई हो;

(ङ) अपने सामान्य निकाय की बैठक के दिनांक और निर्वाचन का आयोजन जब होना है, की घोषणा और;

(च) निबन्धक द्वारा यथा अपेक्षित कोई अन्य सूचना।

(2) प्रत्येक सहकारी समिति, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से आच्छादित होगी।"

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान में 97वें संशोधन, 2011 के अनुसार व्यवस्था करने के उद्देश्य से यह आवश्यक हो गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 में सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी में लोकतांत्रिक स्वरूप और आरक्षण मानक सुनिश्चित करने, प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल में एकरूपता लाने, सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी, पदाधिकारियों तथा प्रतिनिधियों के निर्वाचन में केन्द्रीयित व्यवस्था बनाने, सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के निलम्बन और अवक्रमण की प्रक्रिया को नियत समय सीमा में पूरा करने और सहकारी समितियों के लेखों की लेखा परीक्षा की आज्ञापक व्यवस्था करने के लिये संशोधन किया जाय। अतएव उक्त प्रयोजनों के लिये उत्तर